न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पुष्कर (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी – श्री सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस)

राजस्व अपील संख्या –01/2021

दायर दिनांक –30.03.2021

निर्णय दिनांक –25.05.2022

जीसीएमएस नं0 –2021/37

अपीलान्ट्स	बनाम	रेस्पोडेन्ट्स
1. श्री ऋषिराज सिंह भाटी पुत्र स्व. श्री इन्द्रजीत सिंह भाटी 2. श्रीमती मंजूश्री पुत्री स्व. श्री इन्द्रजीत सिंह भाटी 3. श्रीमती सोनल पुत्री स्व. श्री इन्द्रजीत सिंह भाटी 4. श्रीमती संगीता पुत्री स्व. श्री इन्द्रजीत सिंह भाटी 5. श्रीमती मोनल पुत्री स्व. श्री इन्द्रजीत सिंह भाटी समस्त जाति राजपूत निवासी पूगल हाउस, पुरानी गिनाणी, बीकानेर अपीलांट सं. 1 स्वयं एवं बहैसियत मुख्यारआम अपीलांट सं. 2 से 5 वर्तमान पदस्थापित पुलिस महानिदेशक कारागृह केरल।		1. श्री जयराम सिंह उर्फ बाबू सिंह पुत्र श्री प्रेम सिंह 2. श्री शिवराज सिंह पुत्र श्री प्रेम सिंह 3. श्री चांद सिंह पुत्र श्री प्रेमसिंह मृतक 3/1. श्रीमती उच्छव कंवर पत्नी स्व. श्री चांदसिंह 3/2. पार्वती कंवर पुत्री स्व. श्री चांदसिंह 3/3. सुमन कंवर पुत्री स्व. श्री चांदसिंह 3/4 श्री जयसिह पुत्र स्व. श्री चांदसिंह 3/5 श्री गजेंद्र सिंह पुत्र स्व. श्री चांदसिंह 4. श्री मुकनसिंह पुत्र श्री प्रेमसिंह समस्त जाति राजपूत निवासी ग्राम डूंगरिया खुर्द तहसील पुष्कर जिला अजमेर। 5. ग्राम पंचायत कड़ैल जरिये सरपंच तहसील पुष्कर जिला अजमेर 6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पुष्कर जिला अजमेर।

Signature Not Verified

Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2022.07.04 11:18:07 IST
Reason: SelfAttested

25/5/22

उपखण्ड अधिकारी
पुष्कर (अजमेर)

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति– 1.श्री एन0एस0 राजावत, अपीलान्ट्स अभिभाषक

2.पैरोकार सरकार जरिये तहसीलदार, पुष्कर

–: निर्णय :–

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि अभिभाषक अपीलान्ट्स ने एक अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्व ग्राम पंचायत कड़ैल द्वारा पारित नामान्तरकरण सं0 53 दिनांक 22.10.2002 जो कि प्रस्ताव सं0 7(01) दिनांक 20.10.2002 को तस्दीक किया गया था, को निरस्त करने बाबत् पेश की, जिसके संक्षिप्त में तथ्य निम्न प्रकार से है–

ग्राम डूंगरिया खुर्द तहसील पुष्कर जिला अजमेर अवस्थित वर्किंग खाता सं0 128 नया 516 पुराना के वर्किंग खसरा नंबर 1532 रकबा 09–17–00 बीघा किस्म बारानी 02 व ख. नं. 1534 रकबा 02–02–00 बीघा किस्म बारानी 03 कृषि भूमियों के मूल खातेदार श्री हनुमानसिंह पुत्र श्री बाघसिंह जाति राजपूत रहे हैं, जिनके द्वारा वर्किंग खसरा नंबर 1532 रकबा 09–17–00 बीघा भूमि में से 02 बीघा भूमि पंजीकृत विक्रय–पत्र दिनांक 22.07.1993 द्वारा मुख्य सड़क से पीछे की ओर का विशेष भू–भाग श्री छोटू व श्री भग्गू पुत्रगण श्री दयाल जाति भांभी निवासीगण ग्राम डूंगरिया खुर्द तहसील पुष्कर जिला अजमेर के हक में विक्रय कर दिया गया, जिसके आधार पर नामा0 सं0 102 दिनांक 03.01.1996 स्वीकृत किया गया तथा वर्किंग खसरा नंबर 1532 की शेष भूमि रकबा 09–17–00 बीघा एवं वर्किंग खसरा नंबर 1534 रकबा 02–02–00 बीघा कुल 09–19–00 बीघा भूमि जरिये पंजीकृत विक्रय–पत्र दिनांक 30.10.1999 द्वारा अपीलांट की माता श्रीमती शोभा कुमारी पत्नी श्री इन्द्रजीत सिंह भाटी के हक में विक्रय किया गया, जिनका स्वर्गवास हो जाने के पश्चात् अपीलांट उनके विधिक वारिसान होकर क्रयशुदा भूमि के स्वामित्व व आधिपत्य में चले आ रहे हैं, परंतु श्री हनुमानसिंह द्वारा विक्रयशुदा भूमि वर्किंग खसरा नंबर 1532 शेष रकबा 07–17–00 बीघा भूमि में से 1 बीघा भूमि पश्चातवर्ती विक्रय–पत्र दिनांक 14.08.2002 द्वारा प्रतिवादी सं0 01 से 04 के हक में विक्रय कर दिया गया, जिसके आधार पर ग्राम पंचायत कड़ैल द्वारा गैरकानूनी एवं त्रुटिपूर्ण रूप से नामा. सं. 53 दिनांक 22.10.2002 रेस्पो सं. 01 से 04 के हक में स्वीकृत कर दिया गया। इस प्रकार नामा. सं. 53 दिनांक 22.10.2002 गैरकानूनी एवं त्रूटिपूर्ण होने से निरस्त फरमाये जाने योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2022.07.04 11:18:07 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पुष्कर (अजमेर)

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया गया। दिनांक 27.08.2021 को रेस्पो0 सं0 1, 3/1, 3/3 लगायत 3/5 एवं 4 तथा दिनांक 16.02.2022 को रेस्पो0 सं0 2 व 3/2 बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने के कारण एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। पैराकार सरकार जरिये तहसीलदार पुष्कर एवं ग्राम पंचायत कड़ैल जरिये सरपंच की तथ्यात्मक रिपोर्ट व जवाब पेश हुआ जिसे शामिल पत्रावली किया गया। इस संबंध में पैरोकार सरकार/तहसीलदार, पुष्कर द्वारा पत्र क्रमांक/तह.पुष्कर/कोर्ट/2021/2565 दिनांक 07.12.2021 द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत जवाब अपील में बताया कि ग्राम डूंगरिया खुर्द के वर्किंग खसरा नम्बर 1532 रकबा 09 बीघा 17 बीस्वा किस्म बा. 2 व खसरा नम्बर 1534 रकबा 02 बीघा 04 बीस्वा किस्म बा. 3 राजस्व जमाबन्दी संवत 2041 के खाता संख्या 128 में हनुमानसिंह पुत्र बाघसिंह कौम राजपूत के नाम दर्ज है। नामा0सं0 102 दिनांक 03.01.96 बेचान से ख0नं0 1532 मि. रकबा 02 बीघा पर छोटू, भगू पि. दयाल जाति भांबी तथा नामा0 संख्या 53 दिनांक 22.10.02 बेचान से खसरा संख्या 1532 से रकबा 01 बीघा पर जयराजसिंह उर्फ बाबूसिंह, शिवराजसिंह, चांदसिंह, मुकनसिंह पि. प्रेमसिंह जाति राजपूत के नाम दर्ज हुयी। नामा. सं. 188 दिनांक 17.02.08 (बेचान) तथा नामा. सं0 189 दिनांक 17.02.08 (विरासत) से ख0नं0 1532 में से 03 बीघा तथा ख0नं0 1534 में से 01 बीघा कुल 04 बीघा पर घीसाराम पुत्र सुखदेव के वारिसान विमलादेवी पत्नी घीसाराम, ताराचन्द दिनेश पि. घीसाराम, लक्ष्मी, विद्या संगीता पुत्रियां घीसाराम जाति रेगर के नाम दर्ज है।

भूप्रबंध विभाग द्वारा वर्किंग ख.नं. 1532 रकबा 09 बीघा 14 बिस्वा के नवीन ख.नं. 158 रकबा 1.11 हैक्ट., ख.नं. 159 रकबा 0.32 हैक्ट., ख.नं. 159/697 रकबा 0.16 हैक्ट. तथा वर्किंग ख.नं. 1534 रकबा 02 बीघा 02 बिस्वा के नवीन ख.नं. 115 रकबा 0.34 हैक्ट. बनाए गए। नवीन खं.नं. 158 रकबा 1.11 हैक्ट., ख.नं. 115 रकबा 0.34 हैक्ट. आधार जमाबन्दी संवत 2065–84 के खाता सख्या 185 में हनुमानसिंह वल्द बाघसिंह कौम राजपूत के नाम तथा उपरोक्त नामा. सं. 188 दिनांक 17.02.08 व नामा0 सं0 189 दिनांक 17.02.08 अनुसार विमलादेवी पत्नी घीसाराम, ताराचन्द, दिनेश पि. घीसाराम, लक्ष्मी, विद्या, संगीता पुत्रिया घीसाराम जाति रेगर के नाम दर्ज है। जमाबन्दी संवत 2065–84 के खाता संख्या 42 में खसरा नम्बर 159 रकबा 0.32 हैक्ट. ... भगू पि. दयाल कौम भांबी तथा खसरा नम्बर 159/69 रकबा 0.16 हैक्ट. खाता स... 97 में जयराजसिंह उर्फ बाबूसिंह शिवराजसिंह चान्दसिंह मुकनसिंह पि. प्रेमसिंह जाति राजपुत के नाम दर्ज है। नामा. सं. 188 दिनांक 17.02.08 व नामा0 सं0 189 दिनांक 17.02.08 से जमाबन्दी संवत 2071–74 के खाता संख्या 178 में बने खसरा नम्बर 809/115 रकबा 0.16 हैक्ट., ख.नं. 810/158 रकबा 0.48 हैक्ट. खातेदार विमलादेवी पत्नी घीसाराम, दिनेश पुत्र घीसाराम, लक्ष्मी, विद्या,

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2022.07.04 11:18:07 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पुष्कर (अजमेर)

संगीता पुत्रीया घीसाराम तथा नामा. सं. 175 दिनांक 06.04.2016 विरासत से ताराचन्द के वारिसान सोनिया पत्नी ताराचन्द दीक्षा पुत्री ताराचन्द के नाम दर्ज हुए। ख.नं. 810/158 रकबा 0.48 हैक्ट. के बेचान से नामा. सं. 189 दिनांक 30.05.16 व नामा. सं. 243 दिनांक 05.12.17 से नवीन ख.नं. 946/158 रकबा 0.24 हैक्ट. बना एवं ख0नं. 810/158 रकबा 0.24 हैक्ट. यथावत रहा। नामा. सं0 254 व 255 दिनांक 11.04.18 समर्पण से ख.नं. 810/158 रकबा 0.24 हैक्ट. से नवीन ख.नं. 951/810 रकबा 0.0154 हैक्ट. बना व शेष ख.नं. 810/158 रकबा 0.2246 हैक्ट. आवासीय यूनिट में संपरिवर्तित होकर कमला पत्नी सोहनलाल जाति रेगर नि. धुवाडिया तथा ख.नं. 946/158 रकबा 0.24 हैक्ट. से नवीन खं. नं. 952/946 रकबा 0.0141 हैक्ट. बना व शेष खसरा नम्बर 946/158 रकबा 0.2259 हैक्ट. आवासीय यूनिट में संपरिवर्तित होकर कमलेश कुमार पुत्र सुरेश कुमार जाति भांबी नि. बस्सी मोहल्ला पीसांगन के नाम दर्ज है। समर्पित ख0नं0 951/810 रकबा 0.0154 हैक्ट., ख.नं. 952/946 रकबा 0.0141 हैक्ट. श्री सरकार के नाम दर्ज हुए है। नामा संख्या 188 व 189 दिनांक 17.02.08 से ख.नं. 158 व 115 का शेष रहा रकबा जमाबन्दी संवत 2071–74 के खाता संख्या 212 ख.नं 115 रकबा 0.18 हैक्ट., 158 रकबा 0.63 हैक्ट. मूल खातेदार हनुमानसिंह पुत्र बाघसिंह कौम राजपूत के नाम ही दर्ज है। जमाबन्दी संवत् 2071–74 में ख.नं. 159 तथा ख.नं. 159/697 के खातेदार यथावत रहे।

दिनांक 23.02.2022 को अपीलान्ट्स अभिभाषक द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित बहस प्रस्तुत किये जाकर कथन किया कि रेस्पोडेंट्स की विधिवत् तामिल हो जाने के पश्चात् भी माननीय न्यायालय के समक्ष ना तो रेस्पोडेंट्स उपस्थित हुए तथा ना ही किसी प्रकार का जवाब व साक्ष्य रेस्पोडेंट्स के द्वारा प्रस्तुत किया गया। ग्राम पंचायत द्वारा पारित एकपक्षीय, गैर–कानूनी, त्रुटिपूर्ण एवं विधि विरूद्व नामा0 सं0 53 दिनांक 22.10.2002 के विरूद्व उपरोक्त उनवान अपील मय प्रार्थना–पत्र धारा 05 परिसीमा अधिनियम के तहत प्रस्तुत की गई है। ग्राम डूंगरिया खुर्द तहसील पुष्कर जिला अजमेर अवस्थित वर्किंग खाता सं0 128 नया 556 पुराना के वर्किंग खसरा नंबर 1532 रकबा 09–17–00 बीघा किस्म बारानी 2 व ख. नं. 1534 रकबा 02–02–00 बीघा किस्म बारानी 3 कृषि भूमियों के मूल खातेदार श्री हनुमानसिंह पुत्र श्री बाघसिंह रहे हैं। मूल खातेदार श्री हनुमानसिंह द्वारा वर्किंग खसरा नंबर 1532 रकबा 09–17–00 बीघा किस्म बारानी 2 में से 02 बीघा भूमि मुख्य सड़क से पीछे की ओर का विशिष्ट भू–भाग जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 22.07.1993 द्वारा श्री छोटू व श्री अमरचन्द पुत्रान श्री दयाल जाति भांबी निवासी ग्राम डूंगरिया खुर्द तहसील पुष्कर जिला अजमेर के हक में विक्रय कर दिया गया। जिसके आधार पर 02 बीघा भूमि को राजस्व मानचित्र में मुख्य सड़क से पीछे की ओर तरमीम करते हुए जरिये नामा0 सं0 102 दिनांक 03.01.1996 द्वारा खातेदारी स्वीकृत कर दी गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2022.07.04 11:18:07 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पुष्कर (अजमेर)

मूल खातेदार श्री हनुमानसिंह द्वारा वर्किंग खसरा नंबर 1532 रकबा 02—02—00 बीघा सम्पूर्ण कुल किता 02 कुल रकबा 09—19—00 बीघा कृषि भूमि जरिये पंजीकृत विक्रय—पत्र दिनांक 30.10.1999 द्वारा अपीलांट्स की माता श्रीमती शोभा कुमारी पत्नी श्री इन्द्रजीत सिंह भाटी के हक में विक्रय किया जाकर स्वामित्व व आधिपत्य संभला दिया गया। तत्पश्चात् श्रीमती शोभा कुमारी के हक में विक्रयशुदा भूमि के संबंध में पूर्व से ही एक इकरारनामा विद्यमान होने से सिविल वाद सं0 19/2000 व अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना—पत्र सं0 23/2000 श्री चांदसिंह बनाम श्री हनुमानसिंह व अन्य माननीय न्यायालय सिविल न्यायाधीश पुष्कर के समक्ष दिनांक 04.04.2000 को प्रस्तुत होकर दिनांक 05.04.2000 से स्थगन आदेश प्रभावी रहा, जिस प्रकरण को श्रीमती शोभा कुमारी के स्वर्गवास पश्चात् अपीलांट्स द्वारा राजीनामा के तहत दिनांक 17.09.2013 को निर्णित करवाया गया। जिस सिविल वाद—पत्र में विद्वान तहसीलदार पुष्कर एवं जिलाधीश अजमेर प्रतिवादी/अप्रार्थी सं0 2 व 3 के रूप में संयोजित होकर सम्पूर्ण तथ्यों की विधिवत जानकारी रही है, इसके उपरांत भी पटवारी हल्का एवं भू—अभिलेख निरीक्षक द्वारा तथा ग्राम पंचायत कड़ैल द्वारा न्यायालय आदेशों की अवहेलना करते हुए विधि विरूद्ध रूप से नामा0 सं0 53 दिनांक 22.10.2002 स्वीकृत किया गया, जो कि निरस्त फरमाये जाने योग्य है। मूल खातेदार श्री हनुमानसिंह द्वारा अपने खातेदारी भूमि वर्किंग खसरा नंबर 1532 का शेष रकबा 07—17—00 बीघा व ख.नं. 1534 रकबा 02—02—00 बीघा कुल रकबा 09—19—00 बीघा भूमि का जरिये पंजीकृत विक्रय—पत्र दिनांक 30.10.1999 द्वारा अपीलांट की माता श्रीमती शोभाकुमारी के हक में विक्रय कर दिये जाने की तिथि को ही धारा 63 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत सम्पूर्ण हक अधिकार व आधिपत्य समाप्त हो चुके थे, इसके उपरांत भी श्री हनुमानसिंह द्वारा विक्रयशुदा भूमि वर्किंग खसरा नंबर 1532 शेष रकबा 07—17—00 बीघा भूमि में से 1 बीघा भूमि जरिये पंजीकृत विक्रय—पत्र दिनांक 14.08.2002 रेस्पोडेन्ट्स सं0 1 से 4 के हक में पश्चातवर्ती रूप से विक्रय की गई है, जिसका विधि के तहत कोई अधिकार प्राप्त नहीं करता था तथा प्रारम्भतः अवैध व प्रभाव शून्य दस्तावेज दिनांक 14.08.2002 से रेस्पो सं0 01 से 04 में कोई स्वामित्व, हक—अधिकार सृजित नहीं हुए, ऐसे दस्तावेज के आधार पर ग्राम पंचायत कड़ैल द्वारा स्वीकृत नामा0सं0 53 दिनांक 22.10.2002 आर.आर.डी. 1979 पेज सं0 01 पर [illegible] राजस्व मंडल राजस्थान अजमेर की वृहद पीठ, डी.एन.जे 2008 (1) [illegible] 2008(2) पेज सं. 784, ए.आई. आर 2004 सुप्रीम कोर्ट पेज सं0 [illegible] सुप्रीम कोर्ट पेज सं0 1204 एवं आर.आर.टी 2022(1) पेज सं0 102 पर माननीय राजस्व मंडल राजस्थान अजमेर द्वारा प्रतिपादित न्यायिक दृष्टांतों के परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलान्ट्स स्वीकार की जाकर नामा0 सं0 53 दिनांक 22.10.2002 निरस्त किये जाने योग्य है। नामा0 सं0 53 विवादित रहा है,

उपखण्ड अधिकारी
पुष्कर (अजमेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2022.07.04 11:18:07 IST
Reason: SelfAttested

ऐसी स्थिति में धारा 135 (2) राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत विवादित नामा0 को निर्णित किये जाने का क्षेत्राधिकार ग्राम पंचायत कड़ैल में निहित नहीं करता था। नामा. पटवारी हल्का द्वारा भरे जाने से 30 दिवस में ग्राम पंचायत को नामा0 निर्णित किये जाने का क्षेत्राधिकार है जबकि नामा0 सं0 53 पटवारी हल्का द्वारा भरा जाकर भू–अभिलेख निरीक्षक द्वारा दिनांक 24.08.2002 अपनी जांच रिपोर्ट अंकित किये जाने के 30 दिवस पश्चात् अर्थात् 22.10.2002 को नामा0 सं0 53 ग्राम पंचायत कड़ैल द्वारा स्वीकृत किया गया है, जो कि पूर्णतया गैर–कानूनी, विधि विरूद्व एवं क्षेत्राधिकार विहिन होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

इस प्रकार पंजीकृत विक्रय–पत्र दिनांक 14.08.2002 व उसके आधार पर स्वीकृत नामा0 सं0 53 दिनांक 22.10.2002 धारा 52 संपत्ति अन्तरण में उल्लेखित विधिक प्रावधानों तथा आर.बी.जे 2000 पेज सं0 53 एवं आर.बी.जे 2015 पेज सं0 363 तथा आर.बी.जे 2004 पेज सं0 299 सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रतिपादित न्यायिक दृष्टांतों के परिप्रेक्ष्य में निरस्त फरमाये जाने योग्य है। विवादित भूमि अपीलान्ट्स एवं उनके पूर्वाधिकारी के पूर्ववर्ती क्रयशुदा स्वामित्व व आधिपत्य की रही है। जिसके संबंध में सम्पूर्ण तथ्यों की विधिवत् जानकारी के उपरांत भी सुनवाई व साक्ष्य का अवसर प्रदान किये बिना एकपक्षीय रूप से गैर–कानूनी एवं त्रुटिपूर्ण नामा0 सं0 53 दिनांक 22.10.2002 पारित किया गया है। इस कारण आर.आर.टी 2007 (1) पेज सं0 125 सुप्रीम कोर्ट, आर.आर.डी 1998 पेज सं0 319 राजस्थान उच्च न्यायालय तथा आर.आर.डी 1994 पेज सं0 215 व 505 के उप पैरा बी में प्रतिपादित न्यायिक दृष्टांतों के परिप्रेक्ष्य में धारा 5 परिसीमा अधिनियम के प्रार्थना–पत्र को स्वीकार कर देरी को क्षमा करते हुए अपील को गुणावगुण पर निर्णित फरमाया जाकर नामा0 सं0 53 दिनांक 22.10.2002 को निरस्त फरमाये जाने के आदेश प्रदान करावें। अपने पक्ष के समर्थन में उन्होंने आर.आर.डी. 1979 पेज सं0 01 पर माननीय राजस्व मंडल राजस्थान अजमेर की वृहद पीठ, डी.एन.जे 2008 (1) पेज सं. 213, डी.एन.जे 2008(2) पेज सं. 784, ए.आई.आर 2004 सुप्रीम कोर्ट पेज सं0 43–46, ए.आई.आर 2013 सुप्रीम कोर्ट पेज सं0 1204 एवं आर.आर.टी 2022(1) पेज सं0 102 पर माननीय राजस्व मंडल राजस्थान अजमेर, आर.बी.जे 2000 पेज सं0 53 एवं आर.बी.जे 2015 पेज सं0 363 तथा आर.बी.जे 2004 पेज सं0 299 सुप्रीम कोर्ट, आर.आर.टी 2007 (1) पेज सं0 125 सुप्रीम कोर्ट, आर. आर.डी 1998 पेज सं0 319 राजस्थान उच्च न्यायालय तथा आर.आर.डी 1994 पेज सं0 215 व 505 के उप पैरा बी राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत पेश किये।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2022.07.04 11:18:07 IST
Reason: SelfAttested

सर्वप्रथम प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम का निर्णय किया जाना उचित समझते हैं। प्रार्थना–पत्र के संबंध में अपीलान्ट्स अभिभाषक द्वारा

उपखण्ड अधिकारी
पुष्कर (अजमेर)

प्रार्थना–पत्र के कथनों को दोहराते हुए विधि–विरूद्ध एवं एक पक्षीय अपीलाधीन आदेश पारित होने से प्रार्थना–पत्र स्वीकार कर देरी को क्षमा किये जाने का निवेदन किया एवं अपने कथनों के समर्थन में आरआरडी 1994 पेज सं0 215 व 505, आरआरडी 1998 पेज सं0 319 राजस्थान उच्च न्यायालय एवं आरआरटी 2007 (1) पेज सं0 125 सुप्रीम कोर्ट प्रस्तुत किये गये। जिसका ससम्मान अवलोकन किये जाने के पश्चात् प्रार्थना–पत्र में वर्णित कथन उचित व सद्भावी प्रतीत होते हैं, साथ ही कथनों के समर्थन में शपथ–पत्र भी प्रस्तुत किया गया है, जो प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों से भी सहायता प्राप्त होकर पूर्ण रूप से चस्पा होते हैं। इसके विपरित किसी भी पक्षकार द्वारा प्रार्थना–पत्र में वर्णित कथनों को अस्वीकार कर उनका खंडन नहीं किया गया है। इस प्रकार उपरोक्त विवेचनानुसार अपीलान्ट्स का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत किये जाने की हुई देरी को क्षमा करते हुए अपील को पुनर्मियाद शुमार की जाती है।

हमने अपीलान्ट्स अभिभाषक की बहस सुनी तथा पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड एवं तहसीलदार पुष्कर की रिपोर्ट, न्यायिक दृष्टांतों का अवलोकन एवं बहस पर मनन किया। ग्राम पंचायत को पटवारी द्वारा भरे गये नामान्तरकरण को 30 दिवस के अंदर निर्णित किये जाने का क्षेत्राधिकार होता है, लेकिन नामा0सं0 53 पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 24.08.2002 को भरे जाने के लगभग दो माह बाद दिनांक 22.10.2002 को ग्राम पंचायत कड़ैल द्वारा स्वीकृत किया गया, जो कि उसके क्षेत्राधिकार के परे जाकर गैर–कानूनी व विधि–विरूद्ध रूप से स्वीकृत किया गया। वादग्रस्त आराजीयात से संबंधित सिविल वाद सं0 19/2000 व अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना–पत्र संख्या 23/2000 में तहसीलदार स्वयं पक्षकार थे तथा उन्हे इसके सम्पूर्ण तथ्यों की विधिवत जानकारी भी थी, इसके उपरांत भी पटवारी, भू–अभिलेख निरीक्षक व ग्राम पंचायत कड़ैल द्वारा न्यायालय आदेशों की अवहेलना करते हुए बिना किसी जांच के विधि विरूद्ध नामान्तरकरण स्वीकृत किया गया। नामा0 सं0 53 विवादित रहा है, ऐसी स्थिति में धारा 135 (2) राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत विवादित नामान्तरकरण को निर्णित किये जाने का क्षेत्राधिकार ग्राम पंचायत में निहित नहीं करता है। इस संदर्भ में आरआरटी 2022 (1) कलवंत राय बनाम जगमालराम [illegible] दृष्टांत में यह उल्लेखित है कि प्रथम विक्रय–पत्र निष्पादित [illegible] करने हेतु श्री हनुमानसिंह को स्वत्व प्राप्त नहीं था। प्रथम विक्रय–पत्र के [illegible]ध में स्वत्व विधि मान्य होगा तथा पश्चातवर्ती विक्रय–पत्र कानून के खिलाफ व शून्य है। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि जब एक बार भूमि के बेचान के पश्चात् उसी भूमि को उसी बेचानकर्त्ता द्वारा अन्य को बेचान किया जाता है तथा भूमि का आगे से आगे बेचान हो जाता है एवं उन बेचानों के आधार

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2022.07.04 11:18:07 IST
Reason: SelfAttested

अधिकारी एवं ... (अजमेर)

4/7/22
उपखण्ड अधिकारी

पर नामान्तरकरण स्वीकृत हो जाते है तो ऐसे नामान्तरकरणों को एक ही अपील के माध्यम से चुनौती दी जा सकती है। आरआरडी 1979 केरिया बनाम सांवलिया अपील में वृहद पीठ द्वारा पारित निर्णय में यह उद्धृत है कि –

" According to **Sec. 54, T.P Act & 47, Regn. Act**, ptff. deemed to have legally become khatedar tenant from date of execution of sale deed-Hence deft. No. 1 had no right to transfer suit land to deft. Nos. 3 & 5 since he chould not transfer land which no longer belonged to him-Second sale deed, held null and void-In view of Sec. 48, T.P. Act, deft. Nos.3 & 5 could not be deemed to have acquired any right and mere fact that their names, mutated and found place in Jamabandi, held of no consequence-Presumption of truth u/s 140, L.R. Act holds until contrary, proved-Ptff, held lawful khatedar when suit, filed and entries, made in record could not detract that position-1976 RRD 364 and 1969 RRD 299, followed – Provisions of Sec. 183&5(44) indicate that person in possession of suit land should have same lawful authority to remain in possession, failing which he would be liable to be ejected-Both ingredients of Sec. 183 held fulfilled-Ownership in property is transferred as soon as registration of sale deed is effected as held in AIR 1966 S.C. 115 and 1438- Mutation proceedings, merely fiscal and not relevant for determining title-Application of ptff. for grant of relief of being treated as khatedar, contained in plaint itself-Hence provision of Sec. 209 could be invoked by trial court- 1963 RRD (H.C.), followed-Requested relief should have been granted to ptff." (Paras 5 to 16) । आरबीजे (7) 2000 पेज नं0 53 [illegible] पेज नं0 364 से 368 में खण्ड पीठ द्वारा पारित निर्णयों में [illegible] है –

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2022.07.04 11:18:07 IST
Reason: SelfAttested

"Transfer of Property Act, 1882- Section 52- If the property has been transferred and registered earlier then subsequent transfer of property through registration will not be

उपखण्ड अधिकारी
पुष्कर (अजमेर)

valid." ऐसी स्थिति में उपरोक्त विवेचन एवं उद्धृत न्यायिक दृष्टांतों के परिप्रेक्ष्य में अपीलान्ट्स द्वारा प्रस्तुत अपील अंतर्गत धारा–75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार की जाती है तथा स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 53 दिनांक 22.10.2002 प्रस्ताव सं0 7(1) 20.10.2002 को अपास्त कर तहसीलदार पुष्कर को आदेशित किया जाता है कि समस्त विधिक पक्षकारानों (वारिसानों) को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए पुनः नियमानुसार नामान्तरकरण की कार्यवाही करे। खर्चा मुकदमा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नंबर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 25.05.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे–इजलास सुनाया गया।

25/5/22

सुखाराम पिण्डेल
उपखण्ड अधिकारी
पुष्कर (अजमेर)
(आर.ए.एस.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2022.07.04 11:18:07 IST
Reason: SelfAttested